जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 ()जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2023/डी– 2378 दिनांक:– 06/10/2023

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 187वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को दोपहर 12.30 बजे डॉ0 जोगाराम, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिंतन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

क्र.सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1	–	187:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 186वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 186वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2	1	187:2	आवेदक श्रीमती रेखा शेखावत पत्नि श्री ज्ञानेन्द्र सिंह शेखावत जविप्रा द्वारा सृजित योजना एस.एम.एस. हाईवे विंस्तार के भूखण्ड संख्या बी–14 के पास अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 68.83 वर्गमीटर के आवंटन के संबंध में।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार श्रीमति रेखा शेखावत पत्नि श्री ज्ञानेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा जविप्रा द्वारा सृजित योजना एस.एम.एस. हाईवे विस्तार के भूखण्ड संख्या बी–14 के पास अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 68.83 वर्गमीटर के आवंटन बाबत आवेदन किया है। 2. अतिरिक्त भूमि 68.83 वर्गमीटर क्षेत्रफल का स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। 3. प्रस्तावित भूमि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की श्रेणी में है। 4. मास्टर विकास योजना–2025 में प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग आवासीय है। 5. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या बी–14 के पास अतिरिक्त भूमि (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) क्षेत्रफल 68.83 वर्गमीटर नियमानुसार दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
3	4	187:3	हाड़ौती समाज को पूर्व में आवंटित महावीर नगर–प्रथम के सुविधा क्षेत्र की भूमि के बदले फलेटेड हाउसिंग स्कीम मनहोरपुरा कच्ची बस्ती के संस्थानिक भूखण्ड संख्या 5–बी क्षेत्रफल 1627.59 वर्गमीटर में से क्षेत्रफल 798.77 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार हाड़ौती समाज को पूर्व में आवंटित महावीर नगर–प्रथम के सुविधा क्षेत्र की भूमि के बदले भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया। विचार–विमर्श कर प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु उपायुक्त जोन को लौटाये जाने का निर्णय लिया गया।

सचिव, एलपीसी (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4	5	187:4	श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संस्थान जयपुर को नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गायत्री नगर–ए में स्थित सुविधा क्षेत्र की भूमि 908.16 वर्गमीटर आवंटन बाबत्।	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संस्थान जयपुर द्वारा सामाजिक कार्य हेतु भूमि के आवंटन बाबत आवेदन किया गया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाजों को भूमि आवंटन के प्रकरणों की सूचना निर्धारित चैक लिस्ट में चाहे जाने पर सूचना जविप्रा द्वारा भिजवाई गयी है। इस चैक लिस्ट में श्री साधुमार्गी जैन श्रावक संस्थान का नाम भी भिजवाया गया है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसके अनुरूप आवंटन की कार्यवाही किये जाने हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।
5	5	187:5	आवेदक श्रीमती उषा थिरानी एवं श्री प्रमोद थिरानी द्वारा लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी लिमिटेड की योजना शांति नगर में भूखण्ड संख्या 438–बी एवं 438–सी को सुविधा क्षेत्र मानने के कारण वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित कराने के क्रम में।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार आवेदक श्रीमती उषा थिरानी एवं श्री प्रमोद थिरानी द्वारा लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी लिमिटेड की योजना शांति नगर में भूखण्ड संख्या 438–बी एवं 438–सी को सुविधा क्षेत्र मानने के कारण वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित कराने के क्रम में आवेदन किया गया। 2. जोन स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 27.09.2017 में उक्त भूखण्ड सुविधा क्षेत्र में रखे जाने का निर्णय किया गया। 3. प्रार्थीगणों द्वारा जोन स्तरीय कमेटी के उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय अपीलीय अधिकरण में रेफरेन्स प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में उक्त भूखण्डो के कब्जे में कोई बाधा नहीं डालने के निर्देश किये गये। 4. जविप्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका को भी अपने निर्णय दिनांक 30.03.2005 को खारिज कर दिया गया। 5. जविप्रा द्वारा डी.बी.रिट याचिका संख्या 1514/2006 पेश की गई। उसे भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2007 को खारिज कर दिया गया। 6. जविप्रा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी संख्या 11140/2007 दायर की गई जिसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराते हुये जविप्रा की एस.एल.पी को दिनांक 11.01.2011 को खारिज कर दिया गया। 7. समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार दोनो भूखण्डो के बदले सममूल्य–समतुल्य भूखण्ड प्रार्थीगणों को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

6	6	187:6	आवेदिका श्रीमती गीतिका शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा एवं श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री बंसल कुमार शर्मा जयपुर द्वारा म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना 15–ए शिवनगर में दर्शित 200 फीट सड़क जिसको भवन मानचित्र समिति ले आउट प्लान की 17वीं बैठक दिनांक 03.05.2002 में एवं जोनल प्लान–05 के निर्णय अनुसार सीकर रोड से दादी के फाटक तक उक्त सड़क की चौडाई 200 फीट से 130 फीट किये जाने पर भूखण्ड संख्या 249 (पुराना 113ए) एवं 250 (पुराना 113बी) के बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन किये जाने बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार आवेदिका श्रीमती गीतिका शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा एवं श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री बंसल कुमार शर्मा जयपुर द्वारा म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना 15–ए शिवनगर में दर्शित 200 फीट सड़क जिसको भवन मानचित्र समिति ले आउट प्लान की 17वीं बैठक दिनांक 03.05.2002 में एवं जोनल प्लान–05 के निर्णय अनुसार सीकर रोड से दादी के फाटक तक उक्त सड़क की चौडाई 200 फीट से 130 फीट किये जाने पर भूखण्ड संख्या 249 (पुराना 113ए) एवं 250 (पुराना 113बी) के बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन किये जाने बाबत आवेदन किया गया। 2. प्रकरण में सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण भूमि अतिरिक्त है। 3. प्रस्तावित भूमि का जोनल प्लान–05 एवं मास्टर विकास योजना 2025 में भू–उपयोग मिश्रित दर्शित है। 4. समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना 15–ए शिवनगर में दर्शित 200 फीट सड़क जिसको भवन मानचित्र समिति ले आउट प्लान की 17वीं बैठक दिनांक 03.05.2002 में एवं जोनल प्लान–05 के निर्णय अनुसार सीकर रोड से दादी के फाटक तक उक्त सड़क की चौडाई 200 फीट से 130 फीट किये जाने पर भूखण्ड संख्या 249 (पुराना 113ए) एवं 250 (पुराना 113बी) के बढे हुये क्षेत्रफल का आवंटन नियमानुसार दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
7	6	187:7	आवेदक ग्राम पंचायत बोयतावाला पंचायत समिति, झोटवाडा जयपुर द्वारा ग्राम बोयतावाला में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनी पार्वती नगर के सुविधा क्षेत्रफल 242.84 व.ग. में से क्षेत्रफल 100.00 व.ग. भूमि आंगनबाड़ी हेतु आवंटन बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार ग्राम पंचायत बोयतावाला पंचायत समिति, झोटवाडा जयपुर द्वारा ग्राम बोयतावाला में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनी पार्वती नगर के सुविधा क्षेत्रफल 242.84 व.ग. में से क्षेत्रफल 100.00 व.ग. भूमि आंगनबाड़ी हेतु आवंटन बाबत आवेदन किया गया। 2. आवेदित भूमि रिक्त है। 3. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत बोयतावाला पंचायत समिति, झोटवाडा जयपुर द्वारा ग्राम बोयतावाला में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनी पार्वती नगर के सुविधा

आयुक्त (एल.पी.सी.)

				क्षेत्रफल 242.84 व.ग. में से क्षेत्रफल 100.00 व.ग. भूमि आंगनबाड़ी हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
8	7	187:8	आवेदक टोरेन्ट गैस जयपुर प्रा. लि. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–ए में गोविन्दम टॉवर से पूर्व दिशा की तरफ डेयरी से 5 मीटर की दूरी पर रोड़ के साथ ग्रीन कोरिडोर में 50.00 मीटर भूमि के आवंटन करने बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार टोरेन्ट गैस जयपुर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–ए में गोविन्दम टॉवर से पूर्व दिशा की तरफ डेयरी से 5 मीटर की दूरी पर रोड़ के साथ ग्रीन कोरिडोर में 50.00 मीटर भूमि के आवंटन बाबत आवेदन किया गया। 2. पूर्व में प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 179 वीं बैठक दिनांक 16.01.2023 में लिए गये निर्णय के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–ए में गोविन्दम टॉवर से 7 मीटर की दूरी पर स्थित पार्किंग में 50.00 मीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.11.2021 के क्रम में भूखण्ड को वार्षिक किराये के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। 3. पूर्व में आवंटित भूमि के संबंध में जविप्रा द्वारा दिनांक 04.07.2023 को मांग पत्र जारी किया गया। जिस पर फर्म द्वारा राशि 106200/– जविप्रा में जरिये चालान सं. 870460 से जमा करवाये जा चुके है। 4. उक्त भूमि के संबंध में फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बतायी गई जगह से भिन्न जगह आवंटित के सम्बन्ध में कब्जा नहीं लिया गया। 5. समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया। पूर्व में दी गयी भूमि को निरस्त कर जविप्रा की आवासीय योजना गोविन्दपुरा करधनी ब्लॉक–ए में गोविन्दम टॉवर से पूर्व दिशा की तरफ डेयरी से 5 मीटर की दूरी पर रोड़ के साथ ग्रीन कोरिडोर में 50.00 मीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.11.2021 के क्रम में भूखण्ड को वार्षिक किराये के रूप में दिये जाने का निर्णय किया गया। भूखण्ड का वार्षिक किराया आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत देय होगा। साथ ही कम्पनी का 3 वर्ष का किराया एक मुश्त जमा कराया जायेगा। जिला नोडल अधिकारी से आवश्यक अनापत्ति कम्पनी का द्वारा अपने स्तर पर प्राप्त की जायेगी।
9	7	187:9	जविप्रा द्वारा सृजित व्यावसायिक/संस्थानिक/फलैटेड योजना गोविन्दपुरा करधनी कालवाड	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(159)नविवि/जयपुर/2023 दिनांक 30.09.2023 द्वारा मंत्रीमंडल की

सचिव प्रामुख (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			रोड़ के भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 2886 वर्गमीटर भूमि कुमावत समाज को छात्रावास एवं शिक्षा प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत।	आज्ञा संख्या 162/2023 दिनांक 28.09.2023 की अनुपालना में कुमावत समाज को 10 प्रतिशत दर पर भू-आवंटन की स्वीकृति दी जा चुकी है। आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।
10	7	187:10	पृथ्वीराज नगर फेज-प्रथम के भूखण्ड संख्या 250 क्षेत्रफल 312.00 वर्गमीटर के बदले कल्पना नगर योजना के भूखण्ड संख्या सी-482 के स्थान पर विनिमय में जोन-7 की क्षेत्राधिकार में स्थित योजना गोविन्दपुरा, करधनी के भूखण्ड संख्या-सी-87, 169, 170 प्रत्येक का क्षेत्रफल 136.00 वर्गमीटर व भूखण्ड संख्या-सी-254, 255, 218 भूखण्ड संख्या-डी-335, 341, 17 प्रत्येक क्षेत्रफल 264.00 वर्गमीटर व व्यावसायिक/संस्थानिक/फ्लैटेड योजना गोविन्दपुरा करधनी के भूखण्ड संख्या 6ए क्षेत्रफल 385.89 व.मी. में से कोई 01 भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार श्रीमती सुमन यादव पत्नी श्री के.एम. यादव द्वारा पृथ्वीराज नगर फेज-प्रथम के भूखण्ड संख्या 250 क्षेत्रफल 312.00 वर्गमीटर के बदले कल्पना नगर योजना के भूखण्ड संख्या सी-482 के स्थान पर भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया गया। प्रार्थीया पृथ्वीराज नगर फेज-प्रथम की मूल आवंटी भूखण्ड सं. 250 है जिसका क्षेत्रफल 312 वर्गमीटर था एवं यह आवंटन वर्ष 2001 में किया गया था एवं संपूर्ण राशि जमा करवा दी गई है एवं प्रार्थीया के समतुल्य ऐसे अन्य आवंटियों को जिन्हें पूर्व में कल्पना नगर में आवंटन किया गया था उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट पीटिशन संख्या 2740/2008 सुगम सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2013 के निर्देश संख्या 01 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को पृथ्वीराजनगर (गोकुल नगर) में भूखण्ड आवंटित करने के निर्देश दिये गये थे। आवेदिका द्वारा विनिमय में उक्त भूखण्डों में से गोविन्दपुरा करधनी योजना में भूखण्ड संख्या 6ए क्षेत्रफल 385.89 व.मी. की सहमति प्रस्तुत की गई है। तदानुसार आवंटन का निर्णय लिया गया।
11	8	187:11	आवेदक श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल योजना प्रेम विला के भूखण्ड संख्या सी1-13, सी1-14 व सी1-50 में मौके पर बढ़े हुये भूमि आवंटन के संबंध में।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल द्वारा योजना प्रेम विला के भूखण्ड संख्या सी1-13 में मौके पर बढी हुई भूमि 25.25 वर्गमीटर, सी1-14 में मौके पर बढी हुई भूमि 49.88 वर्गमीटर एवं सी1-50 में मौके पर बढी हुई भूमि 105.05 वर्गमीटर के आवंटन के संबंध में आवेदन किया गया। 2. उपायुक्त जोन ने बताया कि अतिरिक्त भूमि का स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। 3. मौके पर भूमि रिक्त है। 4. अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार योजना प्रेम विला के भूखण्ड संख्या सी1-13 में मौके पर बढी हुई भूमि 25.25 वर्गमीटर, सी1-14 में मौके पर बढी हुई भूमि 49.88 वर्गमीटर एवं सी1-50 में मौके पर बढी हुई भूमि 105.05 वर्गमीटर का आवंटन

उप आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				नियमानुसार दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
12	9	187:12	अखिल भारतीय बैरवा महासभा द्वारा बालिका छात्रावास हेतु जविप्रा की सिरोली दांतली योजना के संस्थानिक भूखण्ड संख्या आई–2 पार्ट क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत्।	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(159) नविवि / जयपुर / 2023 दिनांक 30.09.2023 द्वारा मंत्रीमंडल की आज्ञा संख्या 162 / 2023 दिनांक 28.09.2023 की अनुपालना में अखिल भारतीय बैरवा महासभा को 10 प्रतिशत दर पर भू–आवंटन की स्वीकृति दी जा चुकी है। आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।
13	9	187:13	आवेदक प्राचार्य द्वारा जविप्रा की आवासीय / संस्थानिक योजना ग्राम सिरोली, गोनेर के संस्थानिक भूखण्ड संख्या जी–5 क्षेत्रफल 5000 व.मी. राजकीय मूक बधिर महाविद्यालय हेतु के आवंटन के संबंध में।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार प्राचार्य द्वारा जविप्रा की आवासीय / संस्थानिक योजना ग्राम सिरोली, गोनेर के संस्थानिक भूखण्ड संख्या जी–5 क्षेत्रफल 5000 व.मी. राजकीय मूक बधिर महाविद्यालय हेतु के आवंटन के संबंध में निवेदन किया गया। 2. प्रस्तावित भूखण्ड जविप्रा की आवासीय / संस्थानिक योजना ग्राम सिरोली, गोनेर का संस्थानिक भूखण्ड है। 3. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार जविप्रा की आवासीय / संस्थानिक योजना ग्राम सिरोली, गोनेर के संस्थानिक भूखण्ड संख्या जी–5 क्षेत्रफल 5000 व.मी. राजकीय मूक बधिर महाविद्यालय हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
14	11	187:14	आवेदक श्री भानू प्रताप स्वामी पुत्र श्री हंस राम स्वामी द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना ए. पी.जे.अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 36 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर के स्थान पर 210.60 वर्गमीटर होने से बढ़े हुये क्षेत्रफल 48.60 वर्गमीटर को आवंटन करने बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार श्री भानू प्रताप स्वामी पुत्र श्री हंस राम स्वामी द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे.अब्दुल कलाम नगर में लॉटरी द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या 36 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का अनुमोदित मानचित्र अनुसार क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर के स्थान पर 210.60 वर्गमीटर होने से बढ़े हुये क्षेत्रफल 48.60 वर्गमीटर को आवंटन बाबत आवेदन किया गया। 2. उपायुक्त जोन द्वारा बताया कि अतिरिक्त भूमि 68.83 वर्गमीटर क्षेत्रफल का स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। 3. भूमि मौके पर रिक्त है। 4. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार जविप्रा की आवासीय योजना ए.पी.जे.अब्दुल कलाम नगर के भूखण्ड

				संख्या 36 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 48.60 वर्गमीटर भूमि नियमानुसार दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
15	11	187:15	आवेदक डॉ. धनेश्वर शर्मा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर जयपुर द्वारा राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र रामचन्द्रपुरा हेतु ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 442 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार आवेदक डॉ. धनेश्वर शर्मा, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सांगानेर जयपुर द्वारा राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र रामचन्द्रपुरा हेतु ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 442 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने बाबत आवेदन किया गया। 2. प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण दर्शित है। 3. मास्टर विकास योजना 2025 अनुसार भू–उपयोग यू–2 एचआईजेड दर्शित है। 4. मौके पर भूमि रिक्त है। 5. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 442 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
16	11	187:16	श्री लखेरा समाज धर्मशाला एवं पुण्यार्थ विकास प्रन्यास ट्रस्ट जयपुर को समाज के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना एवं समाज उत्थान हेतु सामाजिक गतिविधियों के आयोजन करने हेतु जविप्रा की आवासीय योजना प्रियदर्शिनी नगर के सुविधा क्षेत्र भूमि में से 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने बाबत् ।	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(159)नविवि/जयपुर/2023 दिनांक 30.09.2023 द्वारा मंत्रीमंडल की आज्ञा संख्या 162/2023 दिनांक 28.09.2023 की अनुपालना में लखेरा समाज को 10 प्रतिशत दर पर भू–आवंटन की स्वीकृति दी जा चुकी है। आदेश के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।
17	12	187:17	आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत चतरपुरा तहसील आमेर के ग्राम चतरपुरा के खसरा नम्बर 376/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आवंटन बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत चतरपुरा तहसील आमेर द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया गया। 2. जोनल प्लान–11बी के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग U-2 (HIZ) व इकोलोजिकल दर्शित है। जोनल प्लान–11 बी की किसी भी सडक से प्रभावित नहीं है। मास्टर प्लान–2011 में प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण दर्शित है।

उप. प्रायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

				3. मौके पर भूमि रिक्त है। 4. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत चतरपुरा तहसील आमेर के ग्राम चतरपुरा के खसरा नम्बर 376/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर में से 500 वर्गमीटर भूमि आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
18	12	187:18	आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के ग्राम नृसिंहपुरा के खसरा नम्बर 192 रकबा 1.80 हैक्टेयर में से 1000.00 वर्गमीटर सार्वजनिक श्मशान, नृसिंहपुरा हेतु आवंटन बाबत।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर द्वारा ग्राम नृसिंहपुरा के सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया गया। 2. जोनल प्लान–11बी के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग U–2 (HIZ) व इकोलोजिकल दर्शित है। जोनल प्लान–11 बी की किसी भी सडक से प्रभावित नहीं है। मास्टर प्लान –2011 में प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग ग्रामीण दर्शित है। 3. मौके पर भूमि रिक्त है। 4. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के ग्राम नृसिंहपुरा के खसरा नम्बर 192 रकबा 1.80 हैक्टेयर में से 1000.00 वर्गमीटर सार्वजनिक श्मशान, नृसिंहपुरा हेतु निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
19	12	187:19	आवेदक सरपंच ग्राम नांगल बडगूजरान उर्फ फगोडियावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 152 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से 500 व.मी भूमि पशु चिकित्सा उपकेन्द्र फगोड़ियावाला का आवंटन करने बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र फगोड़ियावाला हेतु भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया गया। 2. मास्टर विकास योजना 2011 एवं 2025 में प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग U2(LIZ) व आंशिक U2(HIZ) दर्शित है। 3. मौके पर भूमि रिक्त है। 4. समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार ग्राम नांगल बडगूजरान उर्फ फगोडियावाला तहसील सांगानेर के खसरा नंम्बर 152 कुल रकबा 0.79 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि में से 500 व.मी भूमि पशु चिकित्सा उपकेन्द्र फगोड़ियावाला हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
20	13	187:20	कोली समाज विकास समिति को को सामुदायिक भवन हेतु राजस्व	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(159)नदिवि/जयपुर

			ग्राम– विराजपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नंबर 44 रकबा 16.50 हेक्टेयर में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत्।	/2023 दिनांक 30.09.2023 द्वारा मंत्रीमंडल की आज्ञा संख्या 162/2023 दिनांक 28.09.2023 की अनुपालना में कोली समाज को 10 प्रतिशत दर पर भू–आवंटन की स्वीकृति दी जा चुकी है। आदेश के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।
21	13	187:21	महर्षि पाराशर (पारीक) सेवा समिति (राज.) चौमूं को सामुदायिक भवन हेतु राजस्व ग्राम–चौमूं तहसील–चौमूं के खसरा नं. 759/1 रकबा 0.99 हेक्टेयर किस्म चारागाह में से 1500 वर्गमीटर भूमि का आवंटन बाबत।	संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.1(159)नविवि/जयपुर/2023 दिनांक 30.09.2023 द्वारा मंत्रीमंडल की आज्ञा संख्या 162/2023 दिनांक 28.09.2023 की अनुपालना में महर्षि पाराशर (पारीक) सेवा समिति को 10 प्रतिशत दर पर भू–आवंटन की स्वीकृति दी जा चुकी है। आदेश के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।
22	14	187:22	आवेदक सरपंच नवसृजित ग्राम पंचायत सिमलियावास वाटिका पंचायत समिति चाकसू को ग्राम जयचन्दपुरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 53/2 रकबा 18.96 हैक्टेयर पर सृजित संस्थानिक योजना जयचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 4986.79 व.मी. में से ग्राम पंचायत भवन हेतु 500.00 वर्गमीटर एवं आई.टी. सेन्टर हेतु 500.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत सिमलियावास वाटिका पंचायत समिति चाकसू द्वारा पंचायत भवन एवं आई.टी. सेन्टर हेतु भूमि आवंटन बाबत आवेदन किया गया। 2. प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 अनुसार भू–उपयोग ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल प्लान अनुसार भू–उपयोग यू–2 एचआईजेड दर्शित है। 3. मौके पर भूमि रिक्त है। 4. अतः समिति द्वारा विचार–विमर्श किया जाकर जोन प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत सिमलियावास वाटिका पंचायत समिति चाकसू को ग्राम जयचन्दपुरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 53/2 रकबा 18.96 हैक्टेयर पर सृजित संस्थानिक योजना जयचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 4986.79 व.मी. में से ग्राम पंचायत भवन हेतु 500.00 वर्गमीटर एवं आई.टी. सेन्टर हेतु 500.00 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
23	14	187:23	श्री धाकड समाज समिति, जयपुर को छात्रावास/धाकड समाज सामाजिक भवन हेतु जविप्रा की योजना हीरालाल शास्त्री नगर ब्लॉक डी के सुविधा क्षेत्र में से 2500.00 व.मी. भूमि का आवंटन किये जाने बाबत्।	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार श्री धाकड समाज समिति, जयपुर द्वारा छात्रावास/धाकड समाज सामाजिक भवन हेतु भूमि के आवंटन बाबत आवेदन किया गया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाजों को भूमि आवंटन के प्रकरणों की सूचना निर्धारित चैक लिस्ट में चाहे जाने पर सूचना जविप्रा द्वारा भिजवाई गयी है। इस चैक लिस्ट में श्री धाकड समाज समिति,

प्रा० प्राधिकृत (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				जयपुर का नाम भी भिजवाया गया है। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर उसके अनुरूप आवंटन की कार्यवाही किये जाने हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।
24	14	187:24	आवेदक श्री शंकर लाल मीना पुत्र स्व. श्री रामकरण मीना द्वारा जविप्रा की योजना रिंग रोड़ परियोजना ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/ओ.जी./196 क्षेत्रफल 627.00 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय द्वारा भूखण्ड संख्या 14/ओ.जी./153 क्षेत्रफल 627.00 वर्गमीटर आवंटन करने बाबत्।	1. जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार श्री शंकर लाल मीना पुत्र स्व. श्री रामकरण मीना द्वारा जविप्रा की योजना रिंग रोड़ परियोजना ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/ओ.जी./196 क्षेत्रफल 627.00 वर्गमीटर पूर्व में अन्य को आवंटित होकर लीज डीड जारी होने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत आवेदन किया गया। 2. आवंटित भूखण्ड संख्या 14/ओ.जी./196 क्षेत्रफल 627.00 वर्गमीटर पूर्व में अन्य को आवंटित होकर लीज डीड जारी होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। 3. आवेदक द्वारा विनिमय में उक्त ब्लॉक में उपलब्ध भूखण्ड संख्या 14/ओ.जी./153 क्षेत्रफल 627.00 व.मी. के आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत की गई है। 4. दोनों भूखण्डों की सडक चौडाई, आरक्षित दर एवं कुल कीमत समान है। 5. समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया। चूंकि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पूर्व में अन्य को आवंटित होकर लीज डीड जारी होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका है। अतः जोन प्रस्ताव अनुसार ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू में आवंटित भूखण्ड संख्या 14/ओ.जी./196 क्षेत्रफल 627.00 वर्गमीटर के स्थान पर विनिमय द्वारा भूखण्ड संख्या 14/ओ.जी./153 क्षेत्रफल 627.00 वर्गमीटर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
सदस्य सचिव
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-I, II, III,IV/नगर-आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन-1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर-प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण-प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास ...

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)